मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः— पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 260/2018 वाद

गीता बाई पत्नी रामगोपाल मीणा, आयु 48 साल, निवासी करोली, हा.मु. केली, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौडगढ़।

— वादी

//बनाम//

1. भैरूलाल पिता हीरा काछी, आयु वयस्क, निवासी केली।
2. प्यारचन्द्र पिता हीरा काछी, आयु वयस्क, निवासी केली।
3. मांगीलाल पिता हीरा काछी, आयु वयस्क, निवासी केली।
4. डामरसी बाई पिता हीरा काछी, आयु वयस्क, निवासी केली।
5. रामी बाई पिता हीरा काछी, आयु वयस्क, निवासी केली।
6. दोला पिता भुवाना काछी, आयु वयस्क, निवासी केली।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

— प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 53, 188 रा.का.अधि,

प्रकरण में दिनांक 24.10.2018 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी तथा तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/— रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये गये थे कि वाके मौजा केली की खाता संख्या 120 व 121 की आराजीयात का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य उनके राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार किया जावे। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्रांक/राजस्व/19/540, दिनांक 13.09.2019 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो माफिक आदेशानुसार है।

अः वाद वादीया कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है—

1— श्रीमती गीता बाई पत्नी रामगोपाल मीणा, निवासी करोली, हा.मु. केली के रहेगी, बैंक रहन बदस्तुर रहेगाः—

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
639 में से पूर्व	0.8900	16.91
2005 में से पूर्व	1.0000	9.50

....

कुल किता 2 कुल रकबा 1.8900 हैक्टेयर कुल लगान 26.41 रूपये

....

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2- भैरूलाल, प्यारचन्द, मांगीलाल, डामरसी, रामी बाई पिता हीरा 1/2, दौला पिता भुवाना 1/2 कांछी, सा. देह के रहेगीः-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
639 मीन पश्चिम	1.0600	20.14
2005 मीन पश्चिम	0.9700	9.22

....

कुल किता 2 कुल रकबा 2.0300 हेक्टेयर कुल लगान 29.36 रूपये

....

आराजी नं. 638 रकबा 0.0100 हैक्टेयर भूमि गे.मु. चाह यथावत शामलाती रहेगी। उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस में अंकित अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हक हिस्से पर रहेगा। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 24.02.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.07.03 15:07:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: